

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 80 / 2022

दायर दिनांक 30.11.2022

राजकुमार उर्फ राजमल	उनवान	
	बनाम	नारायणलाल

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट0 :-

निर्णय दिनांक: 13.12.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई | वकील प्रार्थी हाजिर | हाजिर होकर नवीन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के हित सुरक्षित रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को विद्रो किये जाने का निवेदन किया | नक़ल प्रार्थना पत्र की वकील अप्रार्थी ने प्राप्त की | बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी | अतः नवीन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के हित सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र विद्रो किया जाता है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो| आदेश सुनाया गया|



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन

